संख्या-42/001/113डब्लू-25-27-3005-150-2024

प्रेषक,

सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 03 जुलाई, 2025

विषयः मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा Appeal under section 37 of arbitration and conciliation act 1996 defective No-37/2025 उ0प्र0 राज्य बनाम विरेन्द्र गिरि कान्ट्रैक्टर में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 24.01.2025 को दिये गये निर्णय/आदेश की अनुपालन करने हेतु डिक्रीटल मद में धन की मांग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-430/मु0अ0(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भारित मद/गंगा, दिनांक 03.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अधिशासी अभियन्ता, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ से संबंधित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा Appeal under section 37 of arbitration and conciliation act 1996 defective No-37/2025 उ0प्र0 राज्य बनाम विरेन्द्र गिरि कान्ट्रैक्टर में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 24.01.2025 को दिये गये निर्णय/आदेश की अनुपालना हेतु डिक्रीटल धनराशि **रूपये 64,58,491.00 (चौंसठ लाख, अठ्ठावन हजार, चार सौ इक्यानवे रूपये मात्र)** को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार भुगतान किये जाने की विधिक बाध्यता है।

अत: मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ से संबंधित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा Appeal under section 37 of arbitration and conciliation act 1996 defective No-37/2025 उ0प्र0 राज्य बनाम विरेन्द्र गिरि कान्ट्रैक्टर में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 24.01.2025 को दिये गये निर्णय/आदेश की अनुपालना हेतु धनराशि डिक्रीटल **रूपये 64,58,491.00 (चौंसठ लाख, अठ्ठावन हजार, चार सौ इक्यानवे रूपये मात्र) की** वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व गणनाचक्र की शुद्धता की जांच प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा सुनिश्चित रूप से कर ली जायेगी। गलत/त्रुटिपूर्ण भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रूपये 64,58,491.00 (चौंसठ लाख, अठ्ठावन हजार, चार सौ इक्यानवे रूपये)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-33-051-10-14 सम्बद्ध कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (पश्चिम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मेरठ।
(6) मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मेरठ।
(7) अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) कोषाधिकारी, मेरठ।
(9) अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
(10) अधिशासी अभियन्ता, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ।
(11) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से
चन्द्र भूषण
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।